Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 19-2026] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 12, 2026 (VAISAKHA 22, 1948 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

हरियाणा सरकार

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

दिनांक 4 मई, 2026

संख्या प्राधिकरण–2026/137408.– हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 की धारा 54 (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की दिनांक 12 जनवरी, 2018 की अधिसूचना में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः–

संशोधन

हरियाणा सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा) की दिनांक 12 जनवरी, 2018 की अधिसूचना में, ह.श.वि.प्रा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू ''सामान्य शर्तें'' शीर्षक के तहत पैरा (ज) में, निम्नलिखित उप–पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार हैः

"(ज) विलंब भुगतान शुल्क 10 प्रतिशत प्रति माह या उसके किसी भाग की दर से लागू होगाः

परंतु, 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के बिलों के बकाया पर सौ प्रतिशत अधिभार की एक बारगी छूट अनुमत होगी, यदि बिलों के वर्तमान भुगतान के साथ 31 मई, 2026 तक, उनका भुगतान कर दिया जाता है। ऐसी छूट केवल मीटरयुक्त कनेक्शनों वाले उपभोक्ताओं को दी जाएगी। यदि मीटर रहित कनेक्शनों के माध्यम से आपूर्ति वाला कोई उपभोक्ता इस छूट का लाभ लेने का इच्छुक है, तो उसे प्रथमतः मीटरयुक्त कनेक्शन प्राप्त करना होगा। 31 मई, 2026 के बाद, चूक करने वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति काट दी जाएगी।''

अनुराग अग्रवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर एवं ग्राम आयोजना।

HARYANA GOVERNMENT

HARYANA SHEHRI VIKAS PRADHIKARAN

Notification

The 4th May, 2026

No. Pradhikaran-2026/137408.– In exercise of the powers conferred under section 54 (g) of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government Haryana Shehri Vikas Pradhikaran Notification dated the 12th January 2018 with immediate effect namely:

Amendment

In the Haryana Government, Haryana Shehri Vikas Pradhikaran Notification dated the 12th January 2018 at para (h) under the heading "General Conditions" applicable to areas under jurisdiction of HSVP, the following sub para shall be substituted, namely:

"(h) Late payment charges @10% per month or part thereof shall be applicable:

Provided that one-time waiver of hundred percent surcharge on arrears shall be allowed on the bills for the period upto 31st December, 2025, if the same is paid by 31st May, 2026 alongwith upto date current payment of the bills. Such waiving off shall be given only to the consumers having metered connections. If any consumer having supply through unmetered connection intends to avail this waiver, he shall first get the metered connection. Supply to consumer in default shall be disconnected after the 31st May, 2026".

ANURAG AGARWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town & Country Planning.

[2113-1]

12594—C.S.—H.G.P., Pkl.